रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2684] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2017/भाद्र 27, 1939
No. 2684] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017/ BHADRA 27, 1939

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

का.आ. 3064(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1271(अ), तारीख 31 मार्च, 2016, में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, मध्य प्रदेश राज्य के डिंदोरी और उमरिया जिले में अवस्थित घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पादप जीवाश्म पाए गए है और यह देशांतर 80°36'47.017" पू. और 80°36'39.309" पू. तथा अक्षांश 23°7'3.548" उ. और 23°6'52.131" उ. के बीच है और 0.27416 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, क्षेत्र में वनस्पति और जीवजंतु की भरपूर विविधता है और वन वृक्ष प्रजातियों का संभरण है जिसमें काला सीरस (अल्बिजिया लेबबेक), सफ़ेद सीरस (अल्बिजिया प्रोसीरा), ओनला (ईबलिका ऑफिसिनालीस), खामेर (गमेनीला अर्बोरिया), चिरोल (होलोपटेलिया इंटीग्रिफोलिया), लेदिया (लेगेरस्टोमिया परविफोरा), नीम (अजादिराछ्ता इंडिका), करंज (पोनगामिया पिन्नाटा), अर्जुन (टर्मिनेलिया अर्जुन), मुंगा (मोरिंगा अलिफेरा), जामुन (सिजेयियम कुमीनी), बेर (जिजीफस जुजुबे), अनजन घास (केनचुरस सिलारिस), पेइला अंजन घास (केनचुरस सलेटीगेरूस), हल्दु (एदिना कोरडिफ़ोलिया), बेल (एग्ले मार्मेलोस), महारुख (एलांथुस एक्सेलसा), धावदा (अनोगेइस्सुस लटिफोलिया), कचनार (बौउनीया वेरिइगटा), आचार (बुकानानिअ लनजान), पालाल्श (बूतेअ मोनोस्पर्मा), बरगद (फिकुस बिंघालेंसिस), पीपल (फिक्स रेलीगिओसा), गुनजा (लेन्नइअ कोरोमंडलिका), मुंदी (मित्रागयाना मालाबारिका), सेमल (सजमालिअ मालाबारिका), बाहेदा (टर्मिनेलिया बेल्लारिका), हररा (टर्मिनेलिया चेबुला), सअजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), बैंबू (डेंड्रोकालामुस स्ट्रीक्टुस), महु (मधुका इंडिका) हैं।

और बंदर (रहेसुस मैकाक्युइ), चमगादड़ (शोर्ट नोज़ड फ्रूट चमगादड़), नेवला (सामान्य नेवला), गिलहरी (पांच धारीदार पमस् गिलहरी), क्वाइल (सामान्य क्वाइल), कोयल (कोयल), रोल्लेर (रोल्लेर) आदि जीवजन्तु हैं।

और, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थिति और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों की संक्रियाएं तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के आस पास 250 मीटर विस्तारित क्षेत्र को घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का और 1.129 वर्ग किलोमीटर के बाह्य क्षेत्र है घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर का विस्तार 250 मीटर तक है और घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की सीमा और इसकी पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण बिंदुओं के जीपीएस निर्देशांकों को **उपाबंध-I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 4 ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागबानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पारिस्थितिक-पर्यटन सहित पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल

IndiaCode

निकायों का अभ्यकंन करेगी और समर्थनकारी मानचित्र और विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा उसका सवर्धन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय परिसर औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अन्य प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर सुसंगत राज्य विधियों तथा और यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुख सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक स्थानीय सुख सुविधाएं जिसमें गृह वास भी है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और जिन्हे पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परन्तु यह और कि जनजातीय भूमि का कोई उपयोग सुसंगत राज्य विधियों तथा राज्य सरकार की इसके अधीन बनाए नियमों और उपनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी होगी और उक्त त्रुटि के ठीक करने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगीः

परंतु यह और भी कि त्रुटि का ठीक करना इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगाः

(ख) वनरोपण और वास तथा जैव विविधता जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना समाविष्ट होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की विरासत आंचलिक महायोजना के भाग रूप में तैयार की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण –पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषक तत्वों के निस्सारण के साधारण मानकों के उपबंधो के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंध निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन को पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर-अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा—

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों वहां उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाती है ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री वाली विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है, अन्य उपायों को विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची—

पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों जिनमें तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 भी है तथा लागू विधियों जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) और उनमें किए गए संशोधनों भी है, द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी नए और विद्यमान (लघु और मुख्य खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी जिसमें मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलों या ईटों का विनिर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम

		न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 में आदेश तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अनुसार की जाएंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योग और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को संवर्धित किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	फर्मो, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे अन्यथा नहीं।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार, इनमें से जो भी नजदीक हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए पारिस्थितिक के पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटको के लिए लघु संरचनाओं के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर से परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तो के अनुरूप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी, जैसे:— (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग;

		(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे यह आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होगा ।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि आधारित उद्योग जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वाणिज्यिक बकरी और भेड़, पालन कृषि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
17.	बकरी पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
21.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ, उपलब्ध किए जाएंगे ।
22.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ, उपलब्ध किए जाएंगे ।
23.	गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे पयर्टन संबद्ध अन्य क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
26.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, डेयरी कृषि, जलकृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
28.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

29.	खुले कुआं, बोर कुआं, आदि के लिए कृषि या अन्य उपयोग ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव चिकित्सीय अपशिष्ट।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
33.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
34.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग \|	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए \|
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पारिस्थितिक-अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(i)	प्रभागीय आयुक्त प्रभाग, रिवा	अध्यक्ष;
(ii)	जिला कलेक्टर, सिंगरौली जिला	सदस्य;
(iii)	अधीक्षक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग,रिवा	सदस्य;
(iv)	अधीक्षक इंजीनियर, जन स्वास्थ्य विभाग,रिवा	सदस्य;
(v)	जिला पंचायत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंगरौली	सदस्य;
(vi)	नगर और ग्राम योजना का विभाग प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली का प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	सिंगरौली के होटल और लॉजेज के एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि (जो भी ज्ञात हो)	सदस्य;
(ix)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
(x)	गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे मध्य प्रदेश द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए	सदस्य;
(xi)	राज्य में विश्वविद्यालय को विख्यात संस्था से पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाए	सदस्य;
(xii)	क्षेत्र निदेशक, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सिद्धि	सदस्य सचिव।

indiacode

निर्देश निबंधनः

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधो के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन नहीं आतें है और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते है, सारणी के पैरा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय उनकी संवीक्षा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा की जाएगी और संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान का उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति 31 मार्च तक अपने सभी क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक की गई कारवाई रिपोर्ट **उपाबंध-III** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/85/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

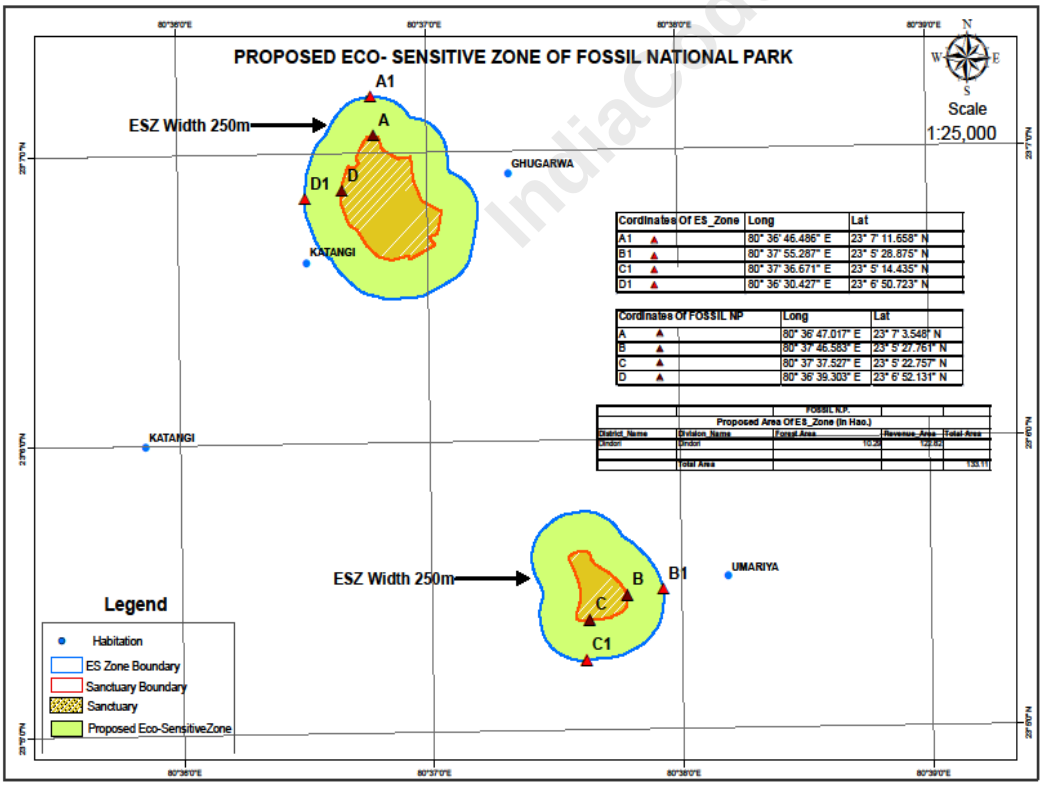
उपाबंध I

घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ सीमा वर्णन और जी.पी.एस निर्देशांकों के बिंदु
घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ जी.पी.एस निर्देशांकों के बिंदु

क्र.सं	जी.पी.एस	देशांतर	अक्षांश
1	ई 01	80°36.831' पू	23°6.951' उ
2	ई 02	80°36.989' पू	23°6.861' उ
3	ई 03	80°37.049' पू	23°6.709' उ
4	ई 04	80°36.977' पू	23°6.582' उ
5	ई 05	80°36.829' पू	23°6.574' उ
6	ई 06	80°36.822' पू	23°6.687' उ
7	ई 07	80°36.737' पू	23°6.775' उ
8	ई 08	80°36.755' पू	23°6.871' उ

घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ जी.पी.एस निर्देशांकों के बिंदु

क्र.सं	जी.पी.एस	देशांतर	अक्षांश
1	ई 01	80°36.715' पू	23°7.041' उ
2	ई 02	80°36.959' पू	23°7.064' उ
3	ई 03	80°37.124' पू	23°6.606' उ
4	ई 04	80°37.178' पू	23°6.728' उ
5	ई 05	80°37.094' पू	23°6.499' उ
6	ई 06	80°36.777' पू	23°6.432' उ
7	ई 07	80°36.621' पू	23°6.700' उ
8	ई 08	80°36.616' पू	23°6.902' उ



उपाबंध II

ग्रामों के सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	घुघुआ	23° 06'46.2" उ	080° 37'13.3" पू
2.	कतंगी	23° 05'58.5" उ	080° 35'53.8" पू

3.	दलका सराये	23° 07'39.8" उ	080° 37'06.4" पू
4.	उमरिया	23° 05'27.5" उ	080° 37'50.9" पू

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi 15th September, 2017

S.O. 3064(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1271 (E), dated 31st March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Ghughua Fossil National Park located in Dindori and Umaria Districts of Madhya Pradesh state where plant fossils have been found and lying between longitudes 80°36′47.017″ E and 80°36′39.303″E and latitudes 23°7′3.548″N and 23° 6′52.131″N and is spread over an area of 0.27416 sq. kms.

AND WHEREAS, the area is rich in floral and faunal diversity and the forests support tree species including Kaala siras (Albizia Lebbeck), Safed siras (Albizia Procera), Aonla (Emblica Officinalis), Khamer (Gmenila Arborea), Chirol (Holoptelia Integrifolia), Lediya (Legerstomia Parviflora), Neem (Azadirachta Indica), Karanj (Pongamia Pinnata), Arjun (Terminalia Arjuna), Munga (Moringa Alifera), Jaamun (Syjygium Cumini), Ber (Ziziphus Jujube), Anjan ghaas (Cenchurs Cilaris), Peela anjan ghaas (Cenchurs Sletigerus), Haldu (Adina Cordifolia), Bel (Aegle Marmelos), Maharukh (Ailanthus Excelsa), Dhavda (Anogeissus Latifolia), Kachnaar (Bauhunia Variegata), Achaar (Buchanania Lanzan), Palaash (Butea Monosperma), Bargad (Ficus Benghalensis), Peepal (Ficus Religiosa), Gunja (Lannea Coromendlica), Mundi (Mitragyna Malabarica), Semal (Salmalia Malabarica), Baheda (Terminalia Bellerica), Harra (Terminalia Chebula), Saaja (Terminalia Tomentosa), Bamboo (Dendrocalamus strictus), Mahua (Madhuca Indica).

AND WHEREAS, the faunal are Monkey (Rhesus Macaque), Bat (Short nosed fruit bat), Mongoose (Common mongoose), Squrrel (Five striped palms squirrel), Quail (common quail), Koel (koel), Roller (Roller).

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Ghughua Fossil National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 250 meters around the boundary of Ghughua Fossil National Park in the State of Madhya Pradesh as the Ghughua Fossil National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be with a peripheral area of 1.129 sq. kms. with an extent of 250 meters all around the boundary and the boundary details in the form of GPS coordinates of points along the boundary of Ghughua Fossil National Park, map and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-I.**

(2) The list of 4 villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture and Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism including eco-tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal and urban development;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016,.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:—

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the

		matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as.- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

IndiaCode

		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Commercial Goat and sheep farming.	Regulated under applicable laws.
16.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Goat Farming.	Regulated under applicable laws.
18.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
19.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws.
20.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
21.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
24.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.

25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
26.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
27.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
28.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
29.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
30.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
31.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
32.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
33.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of Degraded Land or Forests or Habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i)	Divisional Commissioner Division, Rewa	Chairman;
(ii)	District Collector Singrauli District	Member;
(iii)	Superintending Engineer PWD Rewa	Member;
(iv)	Superintending Engineer Public Health Department Rewa	Member;
(v)	CEO, District Panchayat Singrauli	Member;
(vi)	Representative of the Town and Country Planning Department	Member;

(vii) Representative of the Pollution Control Board Singrauli Member;

(viii) A representative of the Association of Hotels and Lodges of Singrauli (By whatever known) Member;

(ix) Member, State Biodiversity Board Member;

(x) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years year in each case Member;

(xi) One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case Member;

(xii) Field Director Ghughua Fossil National Park, Sidhi Member-Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/85/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

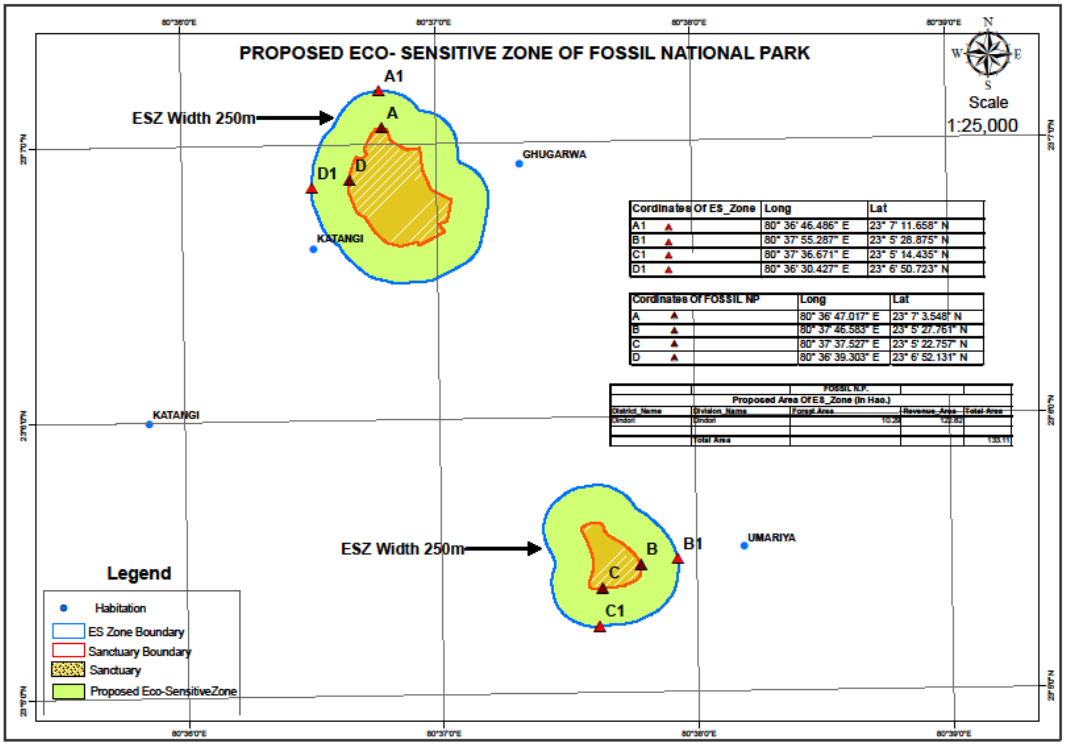
BOUNDARY DETAILS AND GPS COORDINATES OF POINTS ALONG THE GHUGHUA FOSSIL NATIONAL PARK AND ITS ECO SENSITIVE ZONE.

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Ghughwa Fossil Park

S.No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	80°36.831'E	23°6.951'N
2	E02	80^{0}36.989' E	23°6.861' N
3	E03	80^{0}37.049' E	23°6.709' N
4	E04	80^{0}36.977' E	23°6.582' N
5	E05	80^{0}36.829' E	23°6.574' N
6	E06	80^{0}36.822' E	23°6.687' N
7	E07	80^{0}36.737' E	23°6.775' N
8	E08	80^{0}36.755' E	23°6.871' N

GPS Co-ordinates of points along the boundary Eco-Sensitive Zone of Ghughwa Fossil Park

Sl. No.	Gps	Longitude	Latitude
1	E01	80°36.715' E	23° 7.041' N
2	E02	80°36.959' E	23° 7.064" N
3	E03	80°37.124' E	23° 6.909" N
4	E04	80°37.178' E	23° 6.728" N
5	E05	80°37.094' E	23° 6.499" N
6	E06	80°36.777' E	23° 6.432" N
7	E07	80°36.622' E	23° 6.700" N
8	E08	80°36.616' E	23° 6.902" N



ANNEXURE-II

List of village

S.No.	Village Name	Latitude	Longitude
5.	Ghughuwa	23° 06'46.2" N	080° 37'13.3" E
6.	Katangi	23° 05'58.5" N	080° 35'53.8" E
7.	Dalka sarai	23° 07'39.8" N	080° 37'06.4" E
8.	Umaria	23° 05'27.5" N	080° 37'50.9" E

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

 Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.09.19 15:49:04 +05'30'